सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 01.06.2026

- **इटावा पुलिस की बड़ी कार्यवाही,**
- ***GST फर्जीवाड़े पर इटावा पुलिस का बड़ा प्रहार***
- **कूटरचित प्रपत्रों के माध्यम से करोड़ों रुपये की GST चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 लैपटॉप (एचपी कम्पनी) व 05 एन्ड्राएड मोबाइल बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभयनारायण राय के कुशल नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.10.2025 को कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर सचल दल इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर सूचना दी गयी कि वाहन संख्या RJ11 GB 6405 में कूटरचित प्रपत्रों के माध्यम से अज्ञात माल स्वामी द्वारा वाहन स्वामी एवं ट्रान्सपोर्टर के साथ मिली भगत करके माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा था। सूचना पर तत्काल थाना **सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 208/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** के निर्देशन में आज **दिनांक 01.06.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/2025 से सम्बन्धित विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये कुल 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।**

पुलिस पूछताछः-

अभियुक्तों द्वारा केवल कागजों पर फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई गई थीं, जिनमें अंकित नाम, पते एवं व्यवसाय जांच में पूरी तरह फर्जी एवं अस्तित्वहीन पाए गए। इन बोगस कंपनियों के नाम पर फर्जी ई-बिल एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर माल परिवहन दिखाया जाता था, जिससे सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। गिरोह द्वारा व्यापारियों एवं माल मंगाने वालों से वैध टैक्स के स्थान पर माल के वजन (टन) के आधार पर कमीशन वसूला जाता था। अधिक मात्रा में माल होने पर उसी अनुपात में अवैध वसूली कर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बड़े पैमाने पर GST चोरी की जाती थी।

नोट- अभियुक्तों द्वारा इस अवैध कारोबार के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों एवं बैंक खातों की गहन वित्तीय जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा अवैध अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई एवं कुर्की/जब्ती की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पुष्पेन्द्र कुमार मित्तल पुत्र प्रमोद कुमार मित्तल निवासी गायत्री नगर अजीजपुर जगनेर रोड धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा उम्र करीब 29 वर्ष।
2. सफल गुप्ता उर्फ लाला पुत्र शिवशंकर गुप्ता निवासी मकान संख्या 1228 सेक्टर-07 आवास विकास कॉलोनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा उम्र करीब 39 वर्ष।
3. राहुल गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 35/108 नौबस्ता थाना लोहामण्डी जनपद आगरा उम्र करीब 42 वर्ष।
4. सोनू वर्मा पुत्र हरनारायण सिंह निवासी बोदला आवास विकास कॉलोनी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा उम्र करीब 43 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 208/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 लैपटॉप (एचपी कम्पनी)
2. 05 एन्ड्राएड मोबाइल

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्र थाना सिविल लाइन, वरिष्ठ उ0नि0 रामविनोद, हे0का0 जीतू, का0 रामनरेश।